

Universalising Primary Education Programmes in the Country

1553. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Kerala and Tamil Nadu, most of the schools are situated within less than 2 kilometres while in other States, the Schools are at a distance of over 2 kilometres;

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether Government have formulated any microplanning in these districts in view of the need for more schools and non-formal educational centres ; and

(d) if so, the details thereof; and what effective measures Government propose to achieve the target fixed under the universalisation of primary education programme in the country ?

THE DEPUTY MINISTER, THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) :

(a) and (b) According to Fifth All India Educational Survey conducted by NCERT with reference date as September 30, 1986, primary schooling facility is available in rural areas within 2 km. distance for more than 95% of the population in the country. Position of schooling facilities varies from state to state. The survey reports are available in the Parliament House Library.

School Education facilities are to be provided by state governments from their own resources. Central Government has extended financial support for improvement of educational facilities through the centrally sponsored schemes of Operation Blackboard, Non-Formal Education and Teacher Education. Achievements of these schemes upto 1993-94 are given in the Annual Administrative Reports of the Department of Education.

(c) and (d) in pursuance of the recommendations in the National Policy on Education (NPE)—1986, regarding adoption of an array of meticulously formulated strategies based on microplanning, many state governments have prepared district-specific plans for primary education.

कापी राइट बोर्ड

1554. श्री ईश वृत्त यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कापी राइट बोर्ड के अध्यक्ष कब सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त बोर्ड के अन्य सदस्य किस-किस तारीख का सेवानिवृत्त हुए और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी नियुक्ति रिक्त पदों पर की गयी तथा उनकी नियुक्तियों की तिथियां क्या-क्या हैं ।

(ग) क्या ये पद अभी भी रिक्त हैं, यदि हां, तो कोई नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं और ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ;

(घ) अभियांत्रिकी पत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1990-91 में कापी राइट अधिनियम, 1957 की धारा 19ए के अधीन कापी राइट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें निपटा दिया गया है एवं ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो अभी तक लंबित पड़े हैं और कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं, तत्संबंधी ब्यांरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) हर वर्ष केन्द्रीय सरकार कापी राइट्स आफिस और बोर्ड पर कुल कितना व्यय करती है, 25 नवंबर, 1992 को भोपाल में आयोजित कापी राइट बोर्ड की बैठक पर कुल कितना व्यय किया गया और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त बैठक में निर्णय करके निपटाया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 31 मार्च, 1994 का कापीराइट बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही कापीराइट बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी उसी तारीख से समाप्त हो गया है । 26 अप्रैल, 1990 के राजपत्र अधिसूचना की सं. एस. ओ. 371(ई.) के माध्यम से कापीराइट बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से किया गया था :

1. श्री पी. बी. बेंकटसुब्रह्मणियम,
भूतपूर्व विधि सचिव,
भारत सरकार

—अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव,
कॉपीराइट प्रभारी,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग

—पदेन सदस्य

3. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार,
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
भारत सरकार

—पदेन सदस्य

4. विधि सचिव,
तमिलनाडु सरकार

—पदेन सदस्य

5. विधि सचिव,
बिहार सरकार

—पदेन सदस्य

6. विधि सचिव,
केरल सरकार

—पदेन सदस्य

7. विधि सचिव
विधि एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय सरकार

—पदेन सदस्य

8. सचिव
विधि विभाग
गुजरात सरकार

—पदेन सदस्य

9. विधि सचिव
जम्मू एवं कश्मीर सरकार

—पदेन सदस्य

(ख) और (ग) कॉपीराइट बोर्ड का अभी पुनर्गठन किया जाना है। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 के द्वारा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के संशोधन के परिणामस्वरूप कॉपीराइट नियमावली तैयार की जा रही है और इसके शीघ्र बाद कॉपीराइट बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा।

(घ) वर्ष 1990-91 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19 क के अन्तर्गत कॉपीराइट बोर्ड के पास दो याचिकाएं दाखल की गई थी और दोनों याचिकाओं पर निर्णय दे दिया गया—एक सितम्बर, 1990 में और दूसरा अक्टूबर, 1991 में।

धारा 19 क के अन्तर्गत कुल 11 याचिकाएं लम्बित हैं जिन पर बोर्ड को निर्णय देना है। इन याचिकाओं के ब्यौरे तथा इनके लम्बित होने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ङ) कॉपीराइट कार्यालय के लिए कोई पृथक बजट नहीं है क्योंकि यह कार्यालय शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है और कॉपीराइट कार्यालय के सम्पूर्ण कर्मचारियों को इस विभाग के कर्मचारियों के साथ रखा गया है जहां तक कॉपीराइट बोर्ड का संबंध है अध्यक्ष के लिए मानदंड एवं कार्यालय व्यय के लिए अध्यक्ष के टी. ए./डी. ए. के लिए बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए सदस्यों को दिए जाने वाले मानदंड के लिए तथा आकस्मिक व्यय के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 82,663 रु. की राशि खर्च की गई।

25 और 26 नवम्बर, 1992 को भोपाल में आयोजित बोर्ड की बैठक पर कुल 10,194 रु. खर्च किए गए। बोर्ड के पास रखी गई 25 याचिकाओं में से 16 याचिकाओं पर निर्णय दे दिया गया।

विवरण

कॉपीराइट बोर्ड के समक्ष लंबित याचिकाएं
(कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19 क के अंतर्गत)

क्रम संख्या	मामला संख्या	कब से लंबित है	लंबित होने के कारण
1	60/85 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1985	मामला दो बार स्थगित हुआ— प्रथमतः दोनों पक्षकारों की सहमति से द्वितीयतः सरकार द्वारा अवकाश घोषित करने के कारण ।
2	7/87 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1987	मामले को पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में बोर्ड के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जा सका ।
3	18/91 (मध्य क्षेत्र)	1991	दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार के भी उप- स्थित नहीं होने के कारण मामला स्थगित कर दिया गया ।
4	3/92 (मध्य क्षेत्र)	1992	याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों की लेखा वहियों की जांच करने के कारण मामला स्थगित ।
5	13/92 (पूर्वी क्षेत्र)	1992	पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में बोर्ड के समक्ष मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका ।
6	9/93 (उत्तरी क्षेत्र)	1993	दोनों पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों को पूरा करने के लिये मामला स्थगित कर दिया गया ।
7	1/94 (दक्षिणी क्षेत्र)	1994	वर्ष 1994 में कॉपीराइट बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई । पिछले बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 31-3-94 को समाप्त हो गया था ।
8	5/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	-वही-
9	6/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	-वही-
10	7/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	-वही-
11	17/94 (पश्चिमी क्षेत्र)	1994	-वही-

Conference of Education in Islamabad

1555. SHRI RAMDAS AGARWAL :
Will the Minister of HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) Whether he visited Pakistan recently as
Leader of the Indian Delegation to participate
in the 12th Commonwealth Education
Ministers, Conference held in Islamabad;
as reported in the Hindustan Times dated
25th November, 1994;

(b) If so, what was the agenda of the Con-
ference; and

(c) What was the outcome of discussions/
recommendations made at the Conference
particularly on the "role of the State in Edu-
cation ?".

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCA-
TION AND DEPTT. OF CULTURE)
(KUMARI SELJA) : (a) The Minister for
Human Resource Development led a delega-
tion to represent India at the 12th Conference
of Commonwealth Education Ministers held
at Islamabad on 27 November to 1 December
1994.

(b) The main theme of the Conference was
"The Changing Role of the State in Education,
Politics and Partnerships." The Agenda of the
the Conference included discussions on the
main theme and Round tables on various
aspects of education.